राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 207/जोधपुर/2021-22

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री पितर शिक्षण संस्थान डिगाड़ीकलां जिला जोधपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक चौबीस माह नवम्बर सन् दो हजार इक्कीस को जोधपुर में दिया गया।

रजिस्ट्रार, संस्थाएं
जोधपुर

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)
जोधपुर

कार्यालय रजिस्ट्रार (संस्थाएं) जोधपुर

क्रमांक का. (र.सं.)/पंजीयन क्रमांक: 207 दिनांक: 24/11/91

अध्यक्ष/सचिव,

श्री पितृ शिक्षण [illegible]

[illegible] जोधपुर

विषय - राजस्थान संस्था पंजीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक 207/जोधपुर/[illegible] दिनांक 24/11/91 पत्र के साथ संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4, 4(क) की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रति वर्ष आम सभा के 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर-अन्दर निम्नलिखित सूचना भिजवाना आवश्यक है:-

(1) संस्था के मामलों का प्रबंध जिस को सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और उनके पेशे की सूचना, मय उनके पद के।

(2) एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष जिस वर्ष के दौरान (जिस वर्ष की सूचि है) समस्त परिवर्तनों को दर्शाया गया हो।

(3) संस्था के नियमों विनियमों की एक प्रति तारीख सही प्रतिलिपी जो शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों में से कम से कम तीन के द्वारा प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों व विनियमों में किये गए परिवर्तन की प्रतिलिपी जो उपरोक्त वर्णित रीति से सही प्रमाणित की गई हो। ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4(ख) की ओर भी आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार प्रावधानों की पालना में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि अपराध के लिए प्रथम अपराध के सिद्ध के पश्चात यह जारी रहती है तो पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा 4 के अधीन प्रस्तुत की गई सूचना में या धारा 4(ख) के अधीन रजिस्ट्रार (संस्थाएं) को भेजे गए विवरण पत्र या नियमों और विनियमों, उद्देश्यों में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्टि या लोप करता है तो दण्डनीय होगा। अपराध सिद्ध हो जाने पर ऐसा व्यक्ति दो हजार रुपयें तक की राशि से दण्डित हो सकेगा। प्रत्येक परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को अवश्य भिजवावें। इस कार्यालय में भविष्य में किसी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का पंजीयन क्रमांक व वर्ष अवश्य अंकित करें।

रजिस्ट्रार (संस्थाएं)

जोधपुर